

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

[प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



कानपुर-3 जनांक शिक्षक खण्ड निर्वाचनक्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) (सदन का नाम)
के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग- अ
मैं, ओम प्रकाश 'बागी' ** पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री सेवक आयु 46 वर्ष,
जो मि. देवी की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-
(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है / निर्दलीय
अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम मधुवन, मउ (जनपद) डोण्ड (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम
सं. 859 पर, भाग सं. 6 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे सी. नं. 993573 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और ई-मेल पता (यदि कोई
हो) है।

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी में लिए अंतिम आय-कर बर्साई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (रूपये में)
1.	स्वयं <u>ओम प्रकाश 'बागी'</u>		
2.	पति/पत्नी - <u>प्रमिला देवी</u>		
3.	आश्रित-1 <u>आनन्द प्रकाश</u>		
4.	आश्रित-2 <u>अमृत प्रकाश</u>		
5.	आश्रित-3 <u>X</u>		

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का /की
अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।
करेगी।:

(1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध
के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	सम्बन्धित शपथ पत्र संलग्न है।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	सम्बन्धित शपथ-पत्र संलग्न है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	सम्बन्धित शपथ-पत्र संलग्न है।



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	संबंधित प्राप्य-पत्र संज्ञान है।
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	संबंधित प्राप्य-पत्र संज्ञान है।
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	संबंधित प्राप्य-पत्र संज्ञान है।

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है अ ऊपर मद (र) में लिखित मामलों के अलावाट :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख:	लंबित है।
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हैं), के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोधित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति :	नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूँ :

क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदिशत किया जाना है।

टिप्पण 2: निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3: वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की वाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4: आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (एकड़ों में कुल माप)	००	००	००	००	X
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
(ii)	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
	गैर कृषि भूमि : स्थान	X	X	X	X	X
	सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)					
(iii)	क्या विरासती संपत्ति है। (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)	X	X	X	X	X
	-स्थान					
	-सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X	
स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X	
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X	
विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X	
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X	



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

टिप्पण 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	40 हजार	20,000/-	X	X	
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निपेक्ष), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	X	1,00,000	X	X	X
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	X	X	X	X	X
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	X	X	X	X	X
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	X	X	X	X	X
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	X	X	X	X	X
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	X	40 हजार में के आभूषण 50,000/-	X	X	X
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ ब्याज	X		X	X	X
(ix)	सकल कुल मूल्य	40 हजार	1,00,000/-	X	X	

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदिशत किया जाना करें।

टिप्पण 2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या किरासती संपत्ति है। (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iv)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	X	X	X	X	X
(iv)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	X	X	X	X	X

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	X	X	X	X	X
	कोई अन्य दायित्व	X	X	X	X	X
	दायित्वों का कुल योग	X	X	X	X	X
(ii)	सरकार के देय, : सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय	X	X	X	X	X
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	X	X	X	X	X
	विद्युत् प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	X	X	X	X	X
	टेलीफोन/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	X
सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	X	X	X	X	X
आचकर देय	X	X	X	X	X
संपत्ति कर देय	X	X	X	X	X
सेवा कर देय	X	X	X	X	
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	X	X	X	X	
बिक्री कर देय	X	X	X	X	
कोई अन्य देय	X	X	X	X	
(iii) सरकारी के सभी देयों का कुल योग	X	X	X	X	
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	X	X	X	X	

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (पिता-पर शाश्रित)

(क) स्वयं पिता पर शाश्रित
(ख) पति/पत्नी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : पिता पर शाश्रित

.....
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)
प्रमाण पत्र - स्म० ए० (राजस्थान टिचन ओपेन विश्वविद्यालय झुजहारवाड़)
वर्ष - 2012 (प्रमाण-पत्र संलग्न) दिया प्रति.
भाग- ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/ कुमारी श्रीम प्रकटा शर्मा
2	डाक का पूरा पता	गो०-बसंतपुर, पो०-गो०, जिनपुर-मक
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	कानपुर-उत्तर विश्व निरीक्षण 188
4	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा सनिर्दलीय - लिखें)	सनिर्दलीय
	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	विवरणों का शपथ-पत्र संलग्न है।
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/ न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	न्यायालय के संज्ञान में - दो मामले
6	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडानिष्ठ किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 8 की उपधारा उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	नहीं



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

7.	का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणों फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय
(क) अभ्यर्थी	नहीं	नहीं	X
(ख) पति या पत्नी	515042050000377	नहीं	X
(ग) आश्रित	X	X	X

8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपों में ब्यौरे	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
अ.	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	X	X	X	X	
आ	स्थायर आस्ति					
I	स्वाजित स्थावर संपत्ति का क्रय कीमत	X	X	X	X	
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	X	X	X	X	
III	(क) स्वाजित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	X	X	X	X	

9.	दायित्व				
(i)	सरकार के देय (कुल)	X	X	X	X
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X

10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है				
(i)	सरकार के देय (कुल)	X	X	X	X
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X

11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था) (दोषा प्रति 10/07/2017)

(एम.ए. राजर्षि एडवोकेट विश्वविद्यालय इलाहाबाद 11/07/2017)

मैं, ऊपर नामित अभिसाथी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस ऋणपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तालिक बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दायित्व नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है;

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

कानपुर..... स्थान पर आज तारीख 16/07/2017 को सत्यापित किया गया।

अभिसाथी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या मोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुप्रसन्न और स्पष्ट लिखित होना चाहिए।



This document is presented before this court and is identified by me

Pankaj Agarwal Advocate
Notary Public
Government of India

16/07/2017